भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1989
दिनांक 11 मार्च, 2025/ 20 फाल्गुन, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

आंतरिक और साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करना

1989. श्री छत्रपाल सिंह गंगवार:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बजट में आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए क्या नए उपाय प्रस्तावित हैं; और
(ख) सरकार की साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में आगामी योजनाएं क्या हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): सरकार ने पूरे भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा, विधि प्रवर्तन और अभिशासन को सुदृढ़ करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति शुरू की है। चालू वित्त वर्ष में आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए बजट में प्रस्तावित नए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:

(i) आतंकी नेटवर्क को खत्म करके जम्मू और कश्मीर को आतंक मुक्त बनाना, घुसपैठ को रोकना और आतंकी वित्तपोषण को खत्म करना;

(ii) पूर्वोतर में विद्रोही समूहों को शांति प्रक्रिया में शामिल करना और घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना;

(iii) वामपंथी उग्रवाद का खात्मा करना;

(iv) पुलिस, न्यायपालिका, फॉरेंसिक, कारागार तथा अभियोजन को एक निर्बाध (सीमलैस) डिजिटल प्रणाली में एकीकृत करके आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने, अपराध की रोकथाम तथा न्याय प्रदायगी को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से नए आपराधिक कानूनों को लागू करना;

(v) आपराधिक जांच में सुधार, सभी जिलों में मोबाइल फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं की तैनाती और राज्य फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण;

(vi) उन्नत सुरक्षा उपकरण, स्वचालन (ऑटोमेशन) और आवास तथा स्वास्थ्य सेवा में कल्याणकारी पहलों के साथ-साथ बलों के बीच बढ़ी हुई अंतर-प्रचालनीयता में वृद्धि के माध्यम से पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) का आधुनिकीकरण;

(vii) भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी), साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्रों, संदिग्धों की रजिस्ट्री, साइबर कमांडो विंग और राष्ट्रीय साइबर खतरा आसूचना प्रणाली के माध्यम से साइबर अपराध संबंधी अवसंरचना को मजबूत करना ताकि डिजिटल खतरों का सक्रिय रूप से मुकाबला किया जा सके;

(viii) ड्रोन, निगरानी प्रणाली और संवेदनशील सीमाओं पर बाड़ लगाने जैसे तकनीकी उन्नयन के माध्यम से सीमा सुरक्षा को बढ़ाना;

(ix) डिजिटाइज्ड मैपिंग, गैर-प्रमुख बंदरगाहों की निगरानी तथा भारतीय तटरक्षक, नौसेना और तटीय राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के साथ तटीय सुरक्षा को मजबूत करना;

(x) मादक दवाओं और मन:प्रभावी पदार्थों के प्रति शून्य सहनशीलता रखना;

(xi) सामुदायिक भागीदारी, बेहतर ढंग से सुसज्जित राज्य आपदा मोचन बलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से आपदा हेतु राष्ट्रीय तैयारियों में सुधार करना; और

(xii) वीजा जारी करने, ई-वीजा और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विश्वसनीय यात्रियों के लिए फास्ट-ट्रैक निकासी को सुव्यवस्थित करके आव्रजन प्रणालियों का आधुनिकीकरण करना।

******